पत्र संख्या : 7ब/4702–योजना ज०संवकि 18/13 120

झारखण्ड सरकार

जल संसाधन विभाग

प्रेषक,

अविनाश कुमार,
सचिव

सेवा में,

मुख्य अभियंता, लघु सिंचाई, राँची/दुमका;
संबंधित अधीक्षण अभियंता/संबंधित निकासी एवं व्ययन पदाधिकारी,
जल संसाधन विभाग, झारखण्ड।

रॉची, दिनांक : 18-11-13

विषय :– मॉग संख्या–50–लघु सिंचाई विभाग के अन्तर्गत मुख्य शीर्ष–4702–लघु सिंचाई पर पूँजीगत परिव्यय, लघु शीर्ष–101–सतही जल, उप शीर्ष– उप शीर्ष–31–सर्वेक्षण एवं अनुसंधान परामर्श एवं मूल्यांकन, विस्तृत शीर्ष–07–अन्य व्यय, 59 अन्य व्यय, विपत्र कोड– 50P470200101310759 के अन्तर्गत वित्तीय वर्ष 2013–14 में व्यय हेतु निधि का आवंटन।

महाशय,

वित्तीय वर्ष 2013–14 में व्यय हेतु बजट मुख्य शीर्ष **4702–लघु सिंचाई पर पूँजीगत् परिव्यय** के अंतर्गत संलग्न परिशिष्ट–1 में अंकित उप शीर्ष, विस्तृत शीर्ष एवं विपत्र कोड़ में दर्शाये गये कार्यालयों को आवंटन संसूचित किया जाता है :–

क्र०	माँग संख्या/मुख्य शीर्ष	लघु शीर्ष/उप शीर्ष	विस्तृत शीर्ष/विपत्र कोड	आवंटित राशि (लाख रू० में)
1	2	3	4	5
1	50–लघु सिंचाई विभाग/ 4702–लघु सिंचाई पर पूँजीगत् परिव्यय	101–सतही जल/ 31–सर्वेक्षण एवं अनुसंधान परामर्श एवं मूल्यांकन,	07–अन्य व्यय, 59 अन्य व्यय,, विपत्र कोड– 50P470200101310759	**30.00**
आवंटित राशि – ₹ तीस लाख मात्र ।				

2. आवंटित राशि वर्ष 2013–14 के बजट उपबंध **₹ 70.00 लाख (₹ सत्तर लाख)** मात्र के अंतर्गत है।

3. आवंटित राशि के निकासी की प्रक्रिया एवं शर्तें वित्त विभागीय स्थायी अनुदेश का पत्रांक 2561 वि० (2) दिनांक 17.04.98 एवं 1800 (वि०) दि० 15.07.2003 के आलोक में होगा।

4. आवंटित राशि का व्यय प्रशासनिक स्वीकृति में वर्णित शर्त्तों का अक्षरशः पालन करते हुए तकनीकी स्वीकृति के अंतर्गत एवं स्वीकृत कार्यक्रम के अनुरूप किया जायेगा।

5. संबंधित मुख्य अभियंता एवं संबंधित अधीक्षण अभियंता योजनाओं की भौतिक एवं वित्तीय समीक्षा करेंगे एवं यह सुनिश्चित करेंगें कि व्यय निर्धारित नियमों के अनुरूप हो।

6. राशि की निकासी के पूर्व संबंधित विपत्र/चेक पर निकासी एवं व्ययन पदाधिकारी द्वारा इस प्रसंगाधीन आवंटन आदेश की संख्या एवं तिथि का उल्लेख करना होगा, जिसके आधार पर संबंधित विपत्र/चेक में निहित राशि की निकासी की जा रही है। साथ ही इस आशय का प्रमाण पत्र भी विपत्र/चेक पर अंकित करना होगा कि विपत्र में निहित राशि बजट उपबंध तथा आवंटित राशि के अधीन है और राशि की निकासी के लिए संबंधित निकासी एवं व्ययन पदाधिकारी स्वयं सक्षम पदाधिकारी है। प्रत्येक विपत्र/चेक के साथ संबंधित आवंटन आदेश की अभिप्रमाणित प्रति निकासी एवं व्ययन पदाधिकरी द्वारा अनिवार्य रूप से संलग्न की जायेगी।

(ओंकार नाथ) सहायक अभियंता	(मुक्ति साधन चौरसिया) उप सचिव (अभि०)	(सुबोध कुमार सिन्हा) संयुक्त सचिव (अभि०)

7. सरकारी नियम/अधिनियम यथा वन अधिनियम 1980 आदि का उल्लंघन नहीं हो यह सुनिश्चित किया जाय।

8. राशि की निकासी कर उसे चालू/बचत खाता में नहीं रखा जाय।

9. आवंटित राशि से दायित्व का भुगतान या अन्य मद में व्यय बिना अनुमति के नहीं किया जाय।

10. जिस शीर्ष के अंतर्गत उपर्युक्त राशि आवंटित की जा रही है, निकासी एवं व्ययन पदाधिकारी उसी शीर्ष के अंतर्गत भारित करेंगें। प्रत्येक निकासी एवं व्ययन पदाधिकारी पूर्णतः सुनिश्चित हो लेंगें कि इकाईवार व्यय किसी भी परिस्थिति में संबंधित इकाई के अंतर्गत आवंटित राशि से अधिक नहीं हो, अन्यथा अधिकाई व्यय की पूरी जवाबदेही संबंधित पदाधिकारी पर होगी।

11. बिहार वित्तीय नियमावली (भाग–1) के नियम 473 एवं 475 में विहित निदेश/वित्तीय नियमावली बजट मैनुअल/सचिवालय अनुदेश तथा अन्य सुसंगत अभिलेखों में विहित प्रावधानों तथा राज्य सरकार द्वारा समय–समय पर निर्गत अनुदेशों का दृढ़तापूर्वक अनुपालन किया जाना संबंधित मुख्य अभियंता/अधीक्षण अभियंता/कार्यपालक अभियंता का दायित्व होगा।

12. **AIBP** योजनाओं के लिए MOU में भारत सरकार द्वारा अंकित शर्तों से संबंधित सभी अनुदेशों का सख्ती से अनुपालन सुनिश्चित किया जाय। साथ ही तत्संबंधी प्रतिवेदन विभाग को ससमय उपलब्ध कराया जाय।

13. प्रत्येक निकासी एवं व्ययन पदाधिकारी संबंधित शीर्षान्तर्गत हुए व्यय का सत्यापन नियमानुसार त्रैमासिक रूप से महालेखाकार राँची के साथ निश्चित रूप से कराते रहेंगे तथा व्यय प्रतिवेदन एवं सत्यापन विवरणी विभाग को समर्पित करेंगे।

14. विभिन्न इकाई मदों में आवंटित राशि से यदि राशि बच जाती है तो उसका इकाईवार प्रत्यर्पण 31 जनवरी 2014 तक निश्चित रूप से कर देंगे।

नोट : यह आवंटनादेश जल संसाधन विभाग के वेब साईट (http://www.wrdjharkhand.nic.in) पर भी उपलब्ध है।

अनु॰ :– यथोक्त

18/11/13
(अविनाश कुमार)
सचिव

ज्ञापांक :– 1120 राँची, दिनांक :– 18-11-13

प्रतिलिपि :– महालेखाकार (लेखा एवं हक॰) झारखण्ड; पो॰ – **हिनू, राँची/कोषागार पदाधिकारी, राँची/डोरण्डा/गढ़वा/मेदिनीनगर/हजारीबाग/रामगढ़/बोकारो/धनबाद/चतरा/कोडरमा/गिरिडीह/देवघर/गोड्डा** सहित राज्य के सभी कोषागार एवं उपकोषागार पदाधिकारी को सूचनार्थ एवं आवश्यक कार्रवाई हेतु प्रेषित।

अनु॰ :– यथोक्त

18/11/13
(अविनाश कुमार)
सचिव

ज्ञापांक :– 1120 राँची, दिनांक :– 18-11-13

प्रतिलिपि :– प्रधान सचिव, वित्त विभाग/संबंधित प्रमंडलीय आयुक्त/योजना एवं विकास विभाग/आंतरिक वित्तीय सलाहकार जल संसाधन विभाग/अभियंता प्रमुख–I एवं II जल संसाधन विभाग/मुख्य अभियंता (मो॰) राँची/विशेष सचिव जल संसाधन विभाग/संयुक्त सचिव (अभि॰)/उप सचिव (अभि॰) जल संसाधन विभाग को पॉच प्रति/प्रशाखा–7 को दस अतिरिक्त प्रतियों में/सांख्यिकी पदाधिकारी जल संसाधन विभाग/ प्रधान सचिव के सचिव, जल संसाधन विभाग, झारखण्ड, राँची/वेब सूचना प्रबंधक, जल संसाधन विभाग को सूचनार्थ एवं आवश्यक कार्रवाई हेतु प्रेषित।

अनुलग्नक–यथोक्त।

(ओंकार नाथ)	(मुक्ति साधन चौरसिया)	(सुबोध कुमार सिन्हा)	**(अविनाश कुमार)** 18/11/13
सहायक अभियंता	उप सचिव (अभि॰)	संयुक्त सचिव (अभि॰)	**सचिव**

पत्रांक – 120 /राँची, दिनांक – 18-11-13 परिशिष्ट – 1

मॉग संख्या–50–लघु सिंचाई विभाग,
मुख्य शीर्ष–4702–लघु सिंचाई पर पूंजीगत परिव्यय, लघु शीर्ष–101–सतही जल,
उपशीर्ष–31–सर्वेक्षण एवं अनुसंधान परामर्श एवं मूल्यांकन
विस्तृत शीर्ष–07–अन्य व्यय, 59 अन्य व्यय, विपत्र कोड–50P470200101310759
बजट उपबंध (वर्ष 2013–14) रू॰ 70.00 लाख।

(राशि लाख रू. में)

क्र.	कार्यालय का नाम	जिला	योजना का नाम	प्रशासनिक स्वीकृति का		मार्च 2013 तक का व्यय	वित्तीय वर्ष 2013–14 में आवंटन			अभ्युक्ति
				प्रसंग	राशि		पूर्व का आवंटन	वर्तमान आवंटन	कुल आवंटन	
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11
सतही सिंचाई योजनाओं का सर्वेक्षण										
1	लघु सिंचाई प्रमंडल, गढवा	गढवा	सतही सिंचाई योजनाओं का सर्वेक्षण	29/10–11/46/13–14 प्र०स्वी०/ राँची, दिनांक–30.10.2013	3.50	0.00	0.00	3.50	3.50	
2	लघु सिंचाई प्रमंडल, मेदिनीनगर	पलामू			1.50	0.00	0.00	1.50	1.50	
3	लघु सिंचाई प्रमंडल, हूसैनाबाद	पलामू			2.10	0.00	0.00	2.10	2.10	
4	लघु सिंचाई प्रमंडल, हजारीबाग	हजारीबाग			2.90	0.00	0.00	2.90	2.90	
5	लघु सिंचाई प्रमंडल, रामगढ़	रामगढ़			2.00	0.00	0.00	2.00	2.00	
6	लघु सिंचाई प्रमंडल, बोकारो	बोकारो			2.50	0.00	0.00	2.50	2.50	
7	लघु सिंचाई प्रमंडल, धनबाद	धनबाद			1.00	0.00	0.00	1.00	1.00	
8	लघु सिंचाई प्रमंडल, चतरा	चतरा			3.00	0.00	0.00	3.00	3.00	
9	लघु सिंचाई प्रमंडल, कोडरमा	कोडरमा			2.00	0.00	0.00	2.00	2.00	
10	लघु सिंचाई प्रमंडल, गिरीडीह	गिरीडीह			2.50	0.00	0.00	2.50	2.50	
11	लघु सिंचाई रूपाकंण प्रमंडल, दुमका शिविर देवघर	देवघर			4.00	0.00	0.00	4.00	4.00	
12	लघु सिंचाई प्रमंडल, गोड्डा	गोड्डा			3.00	0.00	0.00	3.00	3.00	
					योग	**0.00**	**0.00**	**30.00**	**30.00**	
आवंटित राशि – ₹ तीस लाख मात्र ।										

(ओंकार नाथ)
सहायक अभियंता

(मुक्ति साधन चौरसिया)
उप सचिव(अभि०)

(सुबोध कुमार सिन्हा)
संयुक्त सचिव (अभि॰)

(अविनाश कुमार) 18/11/13
सचिव